

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2023/321

दिनांक : 31/08/2023

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक राजपत्रित/सामान्य/प-156/2023/317 दिनांक 29.08.2023 द्वारा जारी विशिखानु प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन हेतु जारी सूची निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्र.सं.	आदेश मे क्र.सं.	छात्रा का नाम	संशोधन
1	27	डॉ रुचिता कुमार पुत्री श्री नवीन सिंह कमहो	छात्रा का नाम डॉ रुचिता कुमार पुत्री श्री नवीन सिंह कमहा के स्थान पर डॉ रुचिता कुमारी पुत्री श्री नवीन सिंह पढ़ा जावे ।
2	33	डॉ योगेश जगवाल पुत्र श्री शंकरलाल जगवाल	छात्र का नाम डॉ योगेश जगरवाल पुत्र श्री शंकरलाल जगरवाल के स्थान पर डॉ योगेश जगवाल पुत्र श्री शंकरलाल जगवाल व प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय प्रथम के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय व कॉलेज का नाम शेखावाटी आयुर्वेद महाविधालय पिलानी पढ़ा जावे ।
3	18	डॉ अमित कुमार कराड़िया पुत्र श्री नरेंद्र कुमार कराड़िया	प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम पढ़ा जावे ।
4	25	डॉ निदा परवीन पुत्री श्री फरीद अहमद	प्रशिक्षण केन्द्र प्रमुख चिकित्सा अधिकारी , अजमेर के स्थान पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी , नसीराबाद पढ़ा जावे ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2020/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।